

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-76

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरंभ की गई परियोजनाएं

*76. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विगत पांच वर्षों में आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कतिपय परियोजनाओं में विलंब हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरंभ की गई योजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : विगत पाँच वर्षों के दौरान एनटीपीसी द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) : एनटीपीसी की दो परियोजनाओं अर्थात् शोलापुर और मेजा में विलंब हो रहा है। इस संबंध में ब्यौरे और एनटीपीसी द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरंभ की गई योजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

विगत 5 वर्षों के दौरान एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	निवेश अनुमोदन की तिथि*	ईंधन की किस्म	वर्तमान स्थिति
2010-11						
1.	सिंगरौली स्माल हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	8	मार्च, 2011	हाइड्रो	निर्माणाधीन
2011-12						
2.	पोर्ट ब्लेयर सोलर	अंडमान एंड निकोबार	5	दिसंबर, 2011	सोलर	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) मार्च, 2013.
3.	दादरी सोलर	उत्तर प्रदेश	5	जनवरी, 2012	सोलर	सीओडी मार्च, 2013
4.	कुडगी	कर्नाटक	2400	जनवरी, 2012	कोयला	निर्माणाधीन
5.	मौदा-II	महाराष्ट्र	1320	मार्च, 2012	कोयला	निर्माणाधीन
6.	सोलापुर	महाराष्ट्र	1320	मार्च, 2012	कोयला	निर्माणाधीन
2012-13						
7.	एमयूएनएल मेजा संयुक्त उद्यम (एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.-यूपीआरवीयूएनएल के बीच संयुक्त उद्यम)	उत्तर प्रदेश	1320	अप्रैल, 2012	कोयला	निर्माणाधीन
8.	विध्यांचल-V	मध्य प्रदेश	500	मई, 2012	कोयला	सीओडी अक्तूबर, 2015
9.	लता तपोवन एचईपीपी	उत्तराखंड	171	जुलाई, 2012	हाइड्रो	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07 मई, 2014 के न्यायालय आदेश की तर्ज पर 08 मई, 2014 से लता तपोवन में सभी निर्माण कार्य-कलाप रोक दिए गए।
10.	लारा-I	छत्तीसगढ़	1600	दिसंबर, 2012	कोयला	निर्माणाधीन
11.	एनपीजीसीपीएल नवीनगर संयुक्त उद्यम (एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-बीएसपीजीसीएल के बीच संयुक्त उद्यम)	बिहार	1980	जनवरी, 2013	कोयला	निर्माणाधीन
12.	रामागुंडम सोलर	तेलंगाना	10	जनवरी, 2013	सोलर	सीओडी जनवरी, 2014
13.	ऊंचाहार सोलर	उत्तर प्रदेश	10	मार्च, 2013	सोलर	सीओडी मार्च, 2014
14.	तालचेर सोलर	ओडिशा	10	मार्च, 2013	सोलर	सीओडी मार्च, 2014

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	निवेश अनुमोदन की तिथि*	ईंधन की किस्म	वर्तमान स्थिति
15.	गदरवारा - I	मध्य प्रदेश	1600	मार्च, 2013	कोयला	निर्माणाधीन
2013-14						
16.	फरीदाबाद सोलर	हरियाणा	5	मई, 2013	सोलर	सीओडी मार्च, 2014
17.	राजगढ़ सोलर	मध्य प्रदेश	50	जून, 2013	सोलर	सीओडी अप्रैल, 2014
18.	ऊंचाहार-IV	उत्तर प्रदेश	500	जुलाई, 2013	कोयला	निर्माणाधीन
19.	सिंगरौली सोलर	उत्तर प्रदेश	15	अगस्त, 2013	सोलर	सीओडी दिसंबर, 2014
20.	दारलीपल्ली-I	ओडिशा	1600	फरवरी, 2014	कोयला	निर्माणाधीन
21.	नॉर्थ कर्णपुरा	झारखंड	1980	फरवरी, 2014	कोयला	निर्माणाधीन
2014-15						
22.	टॉडा-II	उत्तर प्रदेश	1320	सितंबर, 2014	कोयला	निर्माणाधीन
23.	रम्मम	पश्चिम बंगाल	120	सितंबर, 2014	हाइड्रो	निर्माणाधीन
24.	खरगोन	मध्य प्रदेश	1320	फरवरी, 2015	कोयला	निर्माणाधीन

* एमओईएफ की स्वीकृति की तारीख को निवेश अनुमोदन की तारीख के रूप में लिया गया है जिसमें एमओईएफ की स्वीकृति के अध्येधीन निवेश अनुमोदन दिया गया था।

अनुबंध-II

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरंभ की गई योजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

विलंबित परियोजनाओं और की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना	चालू होने की तिथि		बिलंब के कारण	की गई कार्रवाई
		वास्तविक	अनुमानित		
महाराष्ट्र					
1.	सोलापुर एसटीपीपी (2x660 मेगावाट)	नवंबर-16	अगस्त-17	<ul style="list-style-type: none"> एसजी पैकेज संविदाकार (मैसर्स बीजीआर) के प्रमोटर की मृत्यु होने के कारण एसजी पैकेज (मैसर्स बीजीआर) में इंजीनियरिंग और आपूर्ति में विलंब। बीजीआर और हिताची के बीच क्वालीफाइड स्टीम जेनेरेटर विनिर्माण (क्यूएसजीएम) मामले का निपटारा न होने के कारण, सामग्री की आपूर्ति में विलंब हो रहा है। नवाचार करार हस्ताक्षरित किया जाना है और एनटीपीसी को संयुक्त उपक्रम विलेख (डीजेयू) प्रस्तुत किया जाना है। 	<ol style="list-style-type: none"> मैसर्स बीजीआर और हिताची के साथ नियमित उच्च स्तरीय बैठक और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इस मामले को जापान में भारत के राजदूत के माध्यम से उठाया गया है। इस मामले को विद्युत मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय के साथ भी उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश					
2.	एमयूएनपीएल मेजा टीपीपी-जेबी (2x660 मेगावाट)	दिसंबर-16	सितंबर-17	<ul style="list-style-type: none"> एसजी पैकेज संविदाकार (मैसर्स बीजीआर) के प्रमोटर की मृत्यु होने के कारण एसजी पैकेज (मैसर्स बीजीआर) में इंजीनियरिंग और आपूर्ति में विलंब। बीजीआर और हिताची के बीच क्वालीफाइड स्टीम जेनेरेटर विनिर्माण (क्यूएसजीएम) मामले का निपटारा न होने के कारण, सामग्री की आपूर्ति में विलंब हो रहा है। नवाचार करार हस्ताक्षरित किया जाना है और एनटीपीसी को संयुक्त उपक्रम विलेख (डीजेयू) प्रस्तुत किया जाना है। 	<ol style="list-style-type: none"> मैसर्स बीजीआर और हिताची के साथ नियमित उच्च स्तरीय बैठक और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इस मामले को जापान में भारत के राजदूत के माध्यम से उठाया गया है। इस मामले को विद्युत मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय के साथ भी उठाया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-879

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की संभाव्यता

879. श्री मोती लाल बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां की बिजली परियोजनाओं के लिए हरित मंजूरी में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सकारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि अरुणाचल प्रदेश में 58,000 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की संभावना है;
- (ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (घ) सरकार इस संबंध में कब तक कदम उठाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सियांग बेसिन अध्ययन की रिपोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण सियांग बेसिन, जोकि कार्यान्वयन के अंतिम चरणों में है, में जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) की स्वीकृति के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) : सीईए द्वारा 1987 में देश की जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के लिए पूरे किए गए अध्ययनों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में चिह्नित जल विद्युत क्षमता लगभग 50,328 मेगावाट है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, एक जल विद्युत परियोजना अर्थात् रंगा नदी स्टेज-I (405 मेगावाट) प्रचालनाधीन है जबकि 4 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) अर्थात् सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट), कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट), पारे जल विद्युत परियोजना (110 मेगावाट) और गोंगरी जल विद्युत परियोजना (144 मेगावाट) निर्माणाधीन है। इसके अलावा, कुल 49,197 मेगावाट क्षमता वाली कुल 106 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय और निजी क्षेत्र को आवंटित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुरोध के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय ने इसकी समीक्षा की है और तीन जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात् सियोम, नाईग और टाटो-II जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सियांग बेसिन अध्ययन रिपोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट देने के बारे में विचार किए जाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-880

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

पारेषण क्षेत्र में प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाना

880. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में प्रचालनात्मक विद्युत पारेषण आस्तियां निजी क्षेत्र हेतु एक आकर्षक आस्ति वर्ग के रूप में उभर रही हैं;

- (ख) क्या सरकार पारेषण क्षेत्र में नीतियों और प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बना रही है;
- (ग) क्या अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली लगाकर प्रदान की गई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2006 में पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए निर्देशों के बाद से निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ रही है।

(ख) : जी, हाँ।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। दिनांक 30 नवंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 29 पारेषण स्कीमें अवार्ड की जा चुकी हैं। इनमें से, 4 पारेषण स्कीमें चालू की गई हैं। उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से अवार्ड किए जाने के लिए 10 पारेषण स्कीमें संस्तुत की गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-881

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

आर. ई. सी. द्वारा निधि जुटाई जाना

881. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) की निधीयन संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राजकोषीय वर्ष के दौरान कर मुक्त बॉन्ड्स जारी करके 700 करोड़ रुपए तक की धनराशि जुटाने की योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या आर.ई.सी. इस प्रकार के बान्ड्स के जरिए, 1,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्राधिकृत है; और
- (घ) क्या आर.ई.सी. विद्युत क्षेत्र हेतु अग्रणी ऋण प्रदाता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने इस वर्ष कर मुक्त बॉण्डों के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 700 करोड़ रुपए पहले ही जुटा लिए हैं। दिनांक 05.11.2015 की आबंटन तिथि के साथ दिनांक 27.10.2015 को यह निर्गम खोला गया और दिनांक 28.10.2015 को बंद हुआ। यह निर्गम पूरी तरह से अभिदत्त था।

(ग) : दिनांक 06.07.2015 की सीबीडीटी अधिसूचना सं. 59/2015 के तहत आरईसी को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(घ) : आरईसी विद्युत क्षेत्र के लिए अग्रणी ऋणदाताओं में से एक है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-882

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं को कोयले और गैस की उपलब्धता
सुनिश्चित करना

882. श्री मोती लाल बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2022 तक देशभर में 24 घंटे बिजली देने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग 46 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले पावर प्रोजेक्ट्स पर्याप्त ईंधन न मिलने, टैरिफ कम होने व अन्य कारणों से क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि डिस्काम का ए. टी. एण्ड सी. घाटा कम नहीं हुआ है, यदि हां, तो इसे कम करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त पहल की है। भारत सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

(ख) : विद्युत की क्षमता के लिए इसका गैर-उत्पादन विद्युत स्टेशन (ताप/जल विद्युत) के प्रकार से जुड़ा होता है। ताप विद्युत यूनितों का अभिप्राय मूल भार यूनितों के रूप में नियमित उपयोग किए जाने से होता है जबकि जल-विद्युत यूनितों का उपयोग पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मूल अथवा व्यस्ततम भार दोनों में किए जाने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का उपयोग कई कारकों जैसे यूनित की आयु, जबरन और नियोजित बन्दी, विद्युत की उपलब्धता लाभार्थी राज्यों से विद्युत की अनुसूची और पारेषण/वितरण बाधाओं इत्यादि पर निर्भर करता है।

(ग) : सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले एवं गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- (i) विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले में 10.4% की वृद्धि हुई थी।
- (ii) भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में गैस आधारित स्ट्रैंडिड संयंत्रों के साथ-साथ ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया के जरिए चुने गए घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को आयातित स्पॉट पुनः गैसित द्रवित प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

(घ) : समग्र एटी एण्ड सी हानियां वर्ष 2011-12 में 26.63% से घटकर वर्ष 2013-14 में 22.70% हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-883
जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।
विद्युत उत्पादन

883. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उत्पादित की जा रही कुल विद्युत का स्रोतवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) कोयले की आपूर्ति न हो पाने के कारण इस समय उत्पादन प्रारंभ न कर पाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कितनी विद्युत के उत्पादन की संभावना है; और
- (ग) इस समय निर्माणाधीन संयंत्रों की लक्षित उत्पादन क्षमता क्या है और उन्हें शुरू किए जाने की अनुमानित तिथि क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : चालू वर्ष (अप्रैल, 2015 से अक्तूबर, 2015) के दौरान देश में उत्पादित कुल विद्युत का स्रोत-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

श्रेणी	2015-16 के दौरान उत्पादन (अप्रैल, 2015 से अक्तूबर, 2015 तक) (एमयू)
हाइड्रो	93,739
न्यूक्लियर	21,952
थर्मल	5,38,948
कुल	6,54,639

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसा कोई विद्युत संयंत्र नहीं है जो कोयले के उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन शुरू करने में समर्थ न हो।

इस समय लगभग 1,00,803 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इनके चालू किए जाने की अनुमानित तिथि 13वीं योजना अर्थात् 2021-22 की समाप्ति तक है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-884
जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

884. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में हर गांव को बिजली पहुंचाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कितने राज्यों में बिजली पहुंचाई गई एवं कितने गांवों में बिजली पहुंचाना बाकी रहा है; और

(घ) बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में कितने गांव को बिजली पहुंचाई गई हैं एवं कितने गांवों को बिजली पहुंचाना अभी बाकी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी हाँ, भारत सरकार ने 01 मई, 2018 तक देश के सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, 19 राज्यों में 18,452 गांव विद्युतीकरण के लिए शेष हैं जैसा कि अनुबंध में दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा				
क्रम सं.	राज्य	कुल गैर-विद्युतीकृत गांव (01.04.2015 की स्थिति के अनुसार)	2015-16 के दौरान विद्युतीकृत गांव (30.11.2015 की स्थिति के अनुसार)	शेष गैर-विद्युतीकृत गांव (30.11.2015 की स्थिति के अनुसार)
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	-	1578
2	असम	2890	170	2720
3	बिहार	2719	1497	1222
4	छत्तीसगढ़	1080	33	1047
5	हिमाचल प्रदेश	36	1	35
6	जम्मू एवं कश्मीर	132	26	106
7	झारखंड	2581	116	2465
8	कर्नाटक	39	-	39
9	मध्य प्रदेश	472	126	346
10	मणिपुर	276	58	218
11	मेघालय	912	1	911
12	मिजोरम	58	16	42
13	नागालैंड	82	-	82
14	ओडिशा	3450	168	3282
15	राजस्थान	495	57	438
16	त्रिपुरा	26	3	23
17	उत्तर प्रदेश	1528	741	787
18	उत्तराखंड	76	-	76
19	पश्चिम बंगाल	22	8	14
	कुल	18452	3021	15431

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-885

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के घरों
का विद्युतीकरण

885. श्री के. के. रागेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या क्या हैं जिन्हें अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है; और
- (ख) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के घरों के विद्युतीकरण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत समाहित की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) सहित गरीब रेखा से नीचे (बीपीएल) के गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि अनुबंध में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई और इसमें समाहित की गई आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल घरों का लक्ष्य एवं उपलब्धि

(संख्याओं में)

क्रम सं.	राज्य	30.11.2015 के अनुसार लक्ष्य	30.11.2015 के अनुसार उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	1997962	1997962
2	अरुणाचल प्रदेश	51662	51662
3	असम	1753487	1211534
4	बिहार	10651163	2888767
5	छत्तीसगढ़	1313629	1116304
6	गुजरात	842945	842945
7	हरियाणा	220012	198580
8	हिमाचल प्रदेश	16290	16290
9	जम्मू एवं कश्मीर	95586	68435
10	झारखंड	2000870	1273717
11	कर्नाटक	1031177	892690
12	केरल	141536	139842
13	मध्य प्रदेश	2679709	1403361
14	महाराष्ट्र	1226185	1221350
15	मणिपुर	131731	70307
16	मेघालय	109886	104383
17	मिजोरम	29263	29263
18	नागालैंड	93873	54559
19	ओडिशा	4413872	2755725
20	पंजाब	92988	92988
21	राजस्थान	1558969	1114815
22	सिक्किम	13601	13601
23	तमिलनाडु	525571	501202
24	तेलंगाना	708865	708865
25	त्रिपुरा	205916	116312
26	उत्तर प्रदेश	5149439	1348458
27	उत्तराखंड	237921	237921
28	पश्चिम बंगाल	2449110	2180248
	कुल (राज्य)	39743218	22652086

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-886

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

नए ईंधन आपूर्ति करारों के जरिए कोल लिंकेजेस

886. श्री ए. विलियम रबि बर्नार्ड:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ईंधन आपूर्ति संबंधी नए करारों द्वारा कोल लिंकेजेस सुनिश्चित करके लगभग 21,400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह कदम मंत्रालय द्वारा उन संयंत्रों की वाणिज्यिक रूप से काम शुरू करने की तिथि पुनः तय करने के बाद उठाया गया है जिन्हें वास्तव में मार्च, 2015 तक शुरू किया जाना था;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या ईंधन की निश्चित आपूर्ति से उक्त उत्पादन क्षमता वाले विद्युत संयंत्र शुरू हो जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-887

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

दर्लीपाली, ओडिशा में सुपर ताप विद्युत परियोजना

887. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एन टी पी सी के बोर्ड ने जनवरी, 2014 में दर्लीपाली, ओडिशा में 1600 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है;
- (ख) यदि हां, तो क्या परियोजनाओं के लिए भूमि को अर्जित कर लिया गया है और पर्यावरण संबंधी मंजूरी ले ली गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) नियत समय पर परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ। ओडिशा सरकार द्वारा 1722 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और 1600 मेगावाट की सुपर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनटीपीसी को सौंप दिया गया है। इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) द्वारा 17.02.2014 को प्रदान की गई है।

(घ) : इस परियोजना में निर्माण कार्य-कलाप प्रगति पर हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-888

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना किया जाना

888. श्री राजकुमार धूत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए निधि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कम्पनी इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं रख-रखाव कर सकती है, यदि वह ग्रिड के साथ सम्बद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, देश में 96,503 मेगावाट की क्षमता वाले 130 विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं। महाराष्ट्र में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना केन्द्र, राज्य, निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों द्वारा की जाती है और निधियों की व्यवस्था संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जाती है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 888 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महाराष्ट्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	ईंधन	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र				
1	मौदा एसटीपीपी फेज-II/ एनटीपीसी	थर्मल	यू-3	660
			यू-4	660
2	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी	थर्मल	यू-1	660

			यू-2	660
राज्य क्षेत्र				
3	चंद्रपुर टीपीएस/एमएसपीजीसीएल	थर्मल	यू-9	500
4	कोराडी टीपीपी एक्सपें./एमएसपीजीसीएल	थर्मल	यू-9	660
			यू-10	660
5	पाली टीपीपी एक्सपें./एमएसपीजीसीएल	थर्मल	यू-8	250
6	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस (2 x 40=80 मेगावाट)	हाइड्रो	यू-1 से यू-2	80
निजी क्षेत्र				
7	अमरावती टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि.	थर्मल	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
8	लैंको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा. लि.	थर्मल	यू-1	660
			यू-2	660
9	नासिक टीपीपी फेज-I/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	थर्मल	यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
10	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	थर्मल	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
			यू-5	270
11	विजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि.	थर्मल	यू-1	300
			यू-2	300

एनटीपीसी : नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
एमएसपीजीसीएल : महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-889

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए गोवा को
वित्तीय सहायता

889. श्री शान्ताराम नायक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूमिगत विद्युत तार बिछाने के लिए गोवा राज्य के पश्चिमी तट पर रक्षोपाय के रूप में बिजली की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी योजना की रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ग) गत दस वर्षों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने/बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने गोवा राज्य के शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत राज्य के लिए 32.02 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को सैद्धांतिक संस्वीकृति दे दी है, जिसमें भूमिगत केबलिंग शामिल नहीं है।

भारत सरकार ने राज्य के लिए वर्ष 2004-05 तक एपीडीआरपी में 288.94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं तथा वर्ष 2008-09 में आर-एपी□□आरपी में 110.74 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत कीं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-890

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

झारखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण

890. श्री संजीव कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या झारखंड के लगभग 32,615 गांवों में से 4,000 गांवों में बिजली नहीं है तथा क्या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रही है;
- (ख) क्या अनिवार्य परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में राज्य विद्युत इकाइयों की अक्षमता के कारण विद्युत क्षेत्र में व्यापक रूप से विकासात्मक गतिविधियां नहीं हो पाई हैं जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति कम है और बार-बार बिजली कटती है; और
- (ग) क्या अटल ज्योति अभियान का लक्ष्य चौबीसों घंटे गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति करना है और यदि हां, तो सरकार झारखंड में अपना उद्देश्य कैसे प्राप्त करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड राज्य में 29,492 जनगणना गांव हैं। 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, 2581 गांव गैर-विद्युतीकृत थे।

(ख) : देश में झारखण्ड सहित कई विद्युत वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय दक्षता में सुधार की आवश्यकता है।

(ग) : भारत सरकार के पास विद्युत क्षेत्र में अटल ज्योति अभियान नामक कोई स्कीम नहीं है। तथापि, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत झारखण्ड को 3,696.22 करोड़ रुपये की राशि गांवों की विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-891

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

पन बिजली परियोजनाओं की गति

891. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति वांछित गति से न हो कर बहुत धीमी गति से हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार 9000 करोड़ रुपये की लागत वाली तीस्ता विद्युत परियोजना को पुनः व्यवस्थित कर पाई है और कार्य के शीघ्र शुरू होने की आशा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 12वीं योजना के दौरान, 10,897 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की योजना है जिसमें से दिनांक 30.09.2015 तक 3,461 मेगावाट की कुल क्षमता की परियोजनाएं चालू की जा चुकी है और 7,436 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं विभिन्न कारणों अर्थात् भूमि अधिग्रहण में विलंब पर्यावरण एवं वन स्वीकृति या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मुद्दों, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं खराब कनेक्टिविटी, कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों, भू-वैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं एवं अंतर-राज्यीय मुद्दों से विलंबित हुई हैं/रूकी हुई हैं।

(ग) : जी, हाँ। परियोजना को समय एवं लागत आधिक्य का सामना करना पड़ रहा था। परियोजना को वापस उसी स्थिति में लाने के लिए, प्रवर्तक अंश-धारिता को संशोधित करने के लिए सहमत हो गए हैं, और पावर इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसीएल), सिक्किम सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी के माध्यम से, सिक्किम सरकार ने तीस्ता ऊर्जा विद्युत परियोजना में अपने विगत के 26% के इक्विटी स्टिक को बढ़ाकर 51% कर दिया है। इक्विटी स्टिक को बढ़ाकर 51% करने के लिए, सिक्किम सरकार की निधियों संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पीएफसी ने एसपीआईसीएल को 1,744.13 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। सिक्किम राज्य में तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना के शेष कार्यों के लिए एनएचपीसी को परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य सौंपा गया है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सिक्किम सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

तीस्ता विद्युत परियोजना का कार्य दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से पुनः प्रारंभ किया जा चुका है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-892

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

उत्तराखण्ड को विद्युत रायल्टी का बढ़ा हुआ प्रतिशत

892. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है तथा उसका कितना प्रतिशत राज्य को रायल्टी के रूप में प्राप्त हो रहा है?
- (ख) क्या राज्य को मिलने वाली बिजली से राज्य की आपूर्ति हो पा रही है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये राज्य में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की सहमति प्रदान करेगी; और
- (घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य में उत्पादित हो रही बिजली में राज्य की रायल्टी का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में स्थित विद्युत संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 3,756.35 मेगावाट है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 1,774.2 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 1,252.15 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र में 730 मेगावाट शामिल हैं। केन्द्रीय उत्पादन जल विद्युत परियोजनाओं से आवंटित विद्युत में जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार 12% निःशुल्क विद्युत शामिल है।

(ख) : राज्य द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान विद्युत आपूर्ति स्थिति में व्यस्ततम मांग और ऊर्जा आवश्यकता, दोनों में 2% की कमी दर्शाई गई है। तदनुसारी व्यस्ततम मांग में कमी क्रमशः 38 मेगावाट तथा ऊर्जा कमी 143 मिलियन यूनिट है।

(ग) और (घ) : सरकार ने उत्तराखण्ड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रत्याशित मांग आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों पर कुल 2,966 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 10 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) सीईए को सहमति के लिए प्राप्त हुईं। सीईए ने 2,077 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली छः जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-893

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

बिजली की दरों में वृद्धि

893. श्री हरिवंश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों से विचार-विमर्श कर बिजली दरों को बढ़ाने पर विचार किया है;
- (ख) बिजली दरों को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या नई नीति है;
- (ग) क्या बिजली दरों को बढ़ाने से आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर किया गया है; और
- (घ) क्या केन्द्र सरकार राज्य बिजली बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर विचार कर रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वितरण कम्पनियों का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा बिजली के प्रशुल्क के प्रत्यक्ष विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) : सरकार उपयुक्त नीतिगत ढांचे और कार्यक्रमों के माध्यम से सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को कम करने की दृष्टि से उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवसाय में दक्षता को प्रोत्साहित कर रही है तथा वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण को समर्थन भी दे रही है। सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क निर्धारित करने पर बल दिए जाने के साथ ये उपाय, प्रशुल्क की दरों को कम करने में योगदान भी देते हैं।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20.11.2015 को उदय-उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम में वित्तीय कमी की सीमाओं के बाहर, राज्यों द्वारा डिस्कॉम ऋण लेने की परिकल्पना की गई है, जिससे ब्याज भार में कमी; विद्युत की लागत में कमी, विद्युत मंत्रालय/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्कीमों के माध्यम से प्राथमिकता/अतिरिक्त वित्त पोषण, और भावी चूक से बचने के उपायों को बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-894

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

केन्द्रीय पूल से बिजली की आपूर्ति

894. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय पूल से बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण देश के बहुत से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की कमी रहती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से बिजली की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/ जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) बिजली की कमी वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तथा देश भर में सभी को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे विद्युत का आवंटन करके राज्य सरकारों के प्रयासों को केवल बढ़ावा देती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सीईए को सूचना के अनुसार, केवल कुछ राज्यों ने गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अखिल भारतीय औसत से अधिक की ऊर्जा कमियां झेली हैं। केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से

विद्युत सीमित होती है और यह किसी भी समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्णतः आवंटित है। कमी, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए प्रतियोगी बोली के माध्यम से विद्युत के क्रय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (अप्रैल-सितंबर) के लिए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से अनुसूची) से विद्युत की मांग (ऊर्जा मांग), पात्रता तथा आपूर्ति का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) : विद्युत आपूर्ति की स्थिति की निगरानी पोसोको और सीईए द्वारा की जाती है। यह देखा गया है कि देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग-आपूर्ति के बीच अभी भी अंतर है। मांग-आपूर्ति के इस अंतर का कारण अपर्याप्त पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण अवरोध, उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां, गैस की अपर्याप्त उपलब्धता तथा बहुत से राज्यों की यूटिलिटीयों की कमजोर वित्तीय स्थिति है।

(घ) : देश में विद्युत की कमी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और देश में राज्यों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट परंपरागत और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसकी तुलना में, दिनांक 15.11.2015 तक परंपरागत स्रोतों से लगभग 69,810 मेगावाट और दिनांक 31.10.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 13,204 मेगावाट क्षमता हासिल की गई है।
- (ii) 12वीं योजना के दौरान अर्थात् 2016-17 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए अंतरण क्षमता की स्थापना। इसकी तुलना में, अक्टूबर, 2015 तक 73,112 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा 2,13,969 एमवीए अंतरण क्षमता हासिल की गई है।
- (iii) भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी से सभी के लिए 24x7 घंटे विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने हेतु पहल की है।
- (iv) भारत सरकार द्वारा पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति देने और लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।
- (v) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहन करना।
- (vi) केन्द्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्न-अराउंड के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक एक नई स्कीम अधिसूचित की है।
- (vii) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुगम बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा।
- (viii) रुके हुए गैस आधारित उत्पादन के लिए पीएसडीएफ से सहायता प्रदान करना।

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 894 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से मांग (ऊर्जा आवश्यकता), पात्रता, अनुसूची

राज्य/यूटिलिटी	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16		
	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)* अक्तूबर तक	सीजीएस से पात्रता* सितंबर तक	सीजीएस से अनुसूची* सितंबर तक
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,637	1152.081	990	1,574	1111.409	903	1,616	959.855	844	1,081	621.93729	577
दिल्ली	26,088	22628.225	18,447	26,867	26223.246	20595.7	29,231	22861.784	19,080	20,246	14400.756	10351.5
हरियाणा	41,407	12737.645	10,951	43,463	16542.002	10654.1	46,615	17125.05	12,094	30,533	10439.027	6968.4
हिमाचल प्रदेश	8,992	5619.221	5,187	9,089	5833.127	5269.5	8,807	6230.288	5,771	5,146	4770.7784	4616.5
जम्मू व कश्मीर	15,410	8996.588	8,769	15,613	9993.901	9132.1	16,214	11115.208	9,976	9,123	6887.0818	6157.8
पंजाब	48,724	14725.615	12,826	47,821	18231.42	15477.7	48,629	20311.987	17,675	34,871	12550.5315	10618.9
राजस्थान	55,538	14610.098	13,313	58,202	18327.575	15682.6	65,717	19000.154	16,423	37,202	11013.45	8986.4
उत्तर प्रदेश	91,647	32756.993	30,892	94,890	36319.346	33173.0	1,03,179	38043.554	35,786	65,987	22419.6695	21153.2
उत्तराखंड	11,331	4492.552	4,171	11,944	5185.7	4732.7	12,445	5272.052	4,751	7,715	3284.096	2958.0
छत्तीसगढ़	17,302	7275.8	6,967	18,932	8353.5	7286.5	21,499	8725.7	7,777	14,780	4372.1	4068.4
गुजरात	93,662	27136.9	24,100	88,497	36616.9	27037.7	96,235	38047.6	31,956	61,195	18838	15587.3
मध्य प्रदेश	49,226	23004.5	21,502	49,410	26137.5	22110.3	53,374	32030.4	28,809	31,473	19698	16758.6
महाराष्ट्र	1,23,984	37113.1	35,759	1,26,288	47994.3	36318.8	1,34,897	44722.3	34,461	82,722	20181.8	16520.0
दमन व दीव	1,991	2289.4	2,070	2,252	2525.9	1897.0	2,086	2336.1	1,832	1,359	1156.9	932.8
दादरा व नागर हवेली	4,572	4959.8	4,362	5,390	5349	4229.4	5,307	5299.4	4,101	3,446	2658.5	2067.7
गोवा	3,181	3495.4	3,354	3,890	3722.5	3396.1	3,969	3688.6	3,403	2,989	1895.5	1698.9
आंध्र प्रदेश	99,692	23213.984	22,995	95,662	26667.99	25911.1	59,198	16602.116	16,115	29,560	7038.719	6435.6
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	43,337	12916.18	12,554	29,433	7950.849	6911.2
कर्नाटक	66,274	11867.906	11,791	64,150	12930.985	12324.7	62,643	14443.578	14,148	36,518	7798.827	7352.3
केरल	21,243	11598.208	10,581	21,577	12007.312	10038.5	22,459	13555.634	11,540	13,271	7088.264	5754.3
तमिलनाडु	92,302	21406.419	21,397	93,508	24251.355	24142.0	95,758	27328.433	26,960	58,345	15176.3013	15063.6
पुडुचेरी	2,331	2677.134	2,652	2,344	2519.24	2432.2	2,402	2413.06	2,338	1,478	1353.6319	1269.8
बिहार	15,409	10425.68	10,426	15,391	12735.87	12735.9	19,294	12905.26	12,735	13,811	8254.1	7960.4
झारखंड	17,299	862.37	862	17,407	1003.83	1003.8	18,222	1286.18	1,229	10,918	703.94	693.0
झारखंड	7,042	2656.55	2,657	7,143	2737.65	2737.7	7,599	2801.92	2,718	4,396	1898.02	1590.3
ओडिशा	25,155	7236.02	7,236	24,958	7312.74	7312.7	26,482	8244.42	7,784	15,945	4524.52	3899.1
पश्चिम बंगाल	42,143	6135.2	6,135	42,891	6337.82	6337.8	47,086	7297.88	6,822	29,747	4667.93	4104.2
सिक्किम	409	773.74	774	413	765.46	765.5	399	838.72	780	215	558.34	457.2
अरुणाचल प्रदेश	589	478.773	531	552	480.189	467	677	480.158	464	329	366.163	352.8
असम	6,495	3358.682	4,152	7,544	3837.579	3727.0	8,527	4275.929	4,111	5,421	2768.408	2102.8
मणिपुर	574	521.618	599	579	579.779	563.7	705	537.2	518	472	393.519	377.3
मेघालय	1,828	760.615	900	1,794	1033.235	688.4	1,930	978.475	865	1,030	565.265	495.6
मिजोरम	406	299.664	346	446	327.873	317.4	455	336.339	323	258	229.666	219.2
नागालैंड	567	410.694	412	577	459.387	446.6	688	446.531	432	441	299.531	283.3
त्रिपुरा	1,108	427.452	258	1,195	603.559	584.5	1,242	1033.515	987	750	707.691	673.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-895

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

नेशनल ग्रिड मिशन के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना

895. श्री राम कुमार कश्यप:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को नेशनल ग्रिड मिशन के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना प्रदान करने को कहा है;
- (ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस मिशन के संबंध में उत्तर दिया है और राज्य सरकारों द्वारा कितनी परियोजनाएं भेजी गई हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं प्रारंभ भी की हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिशन के वित्तीय निहितार्थ क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कोई "नेशनल ग्रिड मिशन" कार्यक्रम नहीं है। तथापि, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2015 में "नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन" (एनएसजीएम) का अनुमोदन किया गया है और राज्यों से एनएसजीएम के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा राज्यों से हाल ही में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-896

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत उपलब्धता की स्थिति

896. श्री अहमद पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विद्युत अधिशेष और विद्युत की कमी वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार की वर्ष 2022 तक सभी को विद्युत उपलब्ध कराने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्ष 2022 तक सभी के लिए विद्युत मुहैया कराने की लागत क्या होगी और इसका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा; और
- (घ) वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक उत्सर्जन और सघनता में लगभग एक-तिहाई कटौती करने के देश के लक्ष्य को हासिल करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिशेष/कमी की स्थिति दर्शाने वाली विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख) : भारत सरकार ने सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक संयुक्त पहल की है। भारत सरकार इस उद्देश्य को पूरा करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

(ग) : सभी राज्यों के सभी के लिए 24x7 विद्युत के सारे दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के पश्चात सभी उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने की कुल लागत का अनुमान लगाया जाएगा। निधियों की व्यवस्था राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, वित्तीय संस्थानों अथवा बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋणों और आंशिक रूप से भारत सरकार की योजनाओं से की जाएगी।

(घ) : सभी के लिए विद्युत प्रदान करने के वास्ते अपेक्षित वृद्धि संबंधी विद्युत उत्पादन से होने वाले उत्सर्जन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2022 तक स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में कोयला प्रज्वलित विद्युत संयंत्र सुपर क्रिटिकल अथवा अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के आधार पर संस्थापित किए जाएंगे जिसमें कार्बन डाई ऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है।

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य / सिस्टम / क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू व कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखण्ड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	3,00,774	2,73,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	49,226	44,272	-4,954	-10.1	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	1,23,984	1,19,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादरा नागर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	2,93,918	2,84,126	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुडुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,81,842	2,38,058	-43,784	-15.5	38,767	31,586	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
झारखण्ड	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखण्ड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान-निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	1,07,457	1,02,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारत	9,95,557	9,08,652	-86,905	-8.7	1,35,453	1,23,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य / सिस्टम / क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014				अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखण्ड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,09,463	2,90,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	1,26,288	1,23,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन एवं दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादरा नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,94,659	2,91,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप	48	48	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,77,245	2,58,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
झीन्सी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखण्ड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,08,203	1,06,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारत	10,02,257	9,59,829	-42,428	-4.2	1,35,918	1,29,815	-6,103	-4.5

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य / सिस्टम / क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015				अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम मांग	अधिशेष/कमी(-)	
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	
चंडीगढ़	1,616	1,616	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	29,231	29,106	-125	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	46,615	46,432	-183	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,807	8,728	-79	-0.9	1,422	1,422	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,214	13,119	-3,095	-19.1	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	48,629	48,144	-485	-1.0	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	65,717	65,310	-407	-0.6	10,642	10,642	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,03,179	87,062	-16,117	-15.6	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखण्ड	12,445	12,072	-373	-3.0	1,930	1,930	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,32,453	3,11,589	-20,864	-6.3	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	21,499	21,230	-269	-1.3	3,817	3,638	-179	-4.7
गुजरात	96,235	96,211	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	53,374	53,082	-292	-0.5	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	1,34,897	1,33,078	-1,819	-1.3	20,147	19,804	-343	-1.7
दमन एवं दीव	2,086	2,086	0	0.0	301	301	0	0.0
दादरा नागर हवेली	5,307	5,304	-3	-0.1	714	714	0	0.0
गोवा	3,969	3,932	-37	-0.9	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	3,17,367	3,14,923	-2,444	-0.8	44,166	43,145	-1,021	-2.3
आंध्र प्रदेश	59,198	56,313	-2,885	-4.9	7,144	6,784	-360	-5.0
तेलंगाना	43,337	40,644	-2,693	-6.2	7,884	6,755	-1,129	-14.3
कर्नाटक	62,643	59,926	-2,717	-4.3	10,001	9,549	-452	-4.5
केरल	22,459	22,127	-332	-1.5	3,760	3,594	-166	-4.4
तमिलनाडु	95,758	92,750	-3,008	-3.1	13,707	13,498	-209	-1.5
पुडुचेरी	2,402	2,376	-26	-1.1	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,85,797	2,74,136	-11,661	-4.1	39,094	37,047	-2,047	-5.2
बिहार	19,294	18,759	-535	-2.8	2,994	2,874	-120	-4.0
डीवीसी	18,222	17,728	-494	-2.7	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखण्ड	7,599	7,390	-209	-2.8	1,075	1,055	-20	-1.9
ओडिशा	26,482	26,052	-430	-1.6	3,920	3,892	-28	-0.7
पश्चिम बंगाल	47,086	46,827	-259	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	83	83	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,19,082	1,17,155	-1,927	-1.6	17,040	16,932	-108	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	677	610	-67	-9.9	139	126	-13	-9.4
असम	8,527	7,926	-601	-7.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	705	678	-27	-3.8	150	146	-4	-2.7
मेघालय	1,930	1,634	-296	-15.3	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	455	425	-30	-6.6	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	688	661	-27	-3.9	140	128	-12	-8.6
त्रिपुरा	1,242	1,048	-194	-15.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14,224	12,982	-1,242	-8.7	2,528	2,202	-326	-12.9
अखिल भारत	10,68,923	10,30,785	-38,138	-3.6	1,48,166	1,41,160	-7,006	-4.7

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है. इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। यह जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-897

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत की कमी और उपभोग

897. श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत की अनुमानित कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना-कितना है; और
- (ग) देश तथा अन्य विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में विद्युत कमी सहित अनुमानित विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2011-12 में ऊर्जा कमी 8.5% से घटकर चालू वर्ष अर्थात् 2015-16 (अक्तूबर, 2015 तक) में 2.4% हो गई जो अब तक की सबसे कम है। इसके अतिरिक्त, व्यस्ततम कमी वर्ष 2011-12 में 10.6% से घटकर चालू वर्ष अर्थात् 2015-16 (अक्तूबर, 2015 तक) के दौरान घटकर 3.2% हो गई। यह भी अब तक की सबसे कम है।

(ख) : अखिल भारतीय आधार पर प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2011-12 में 883.6 यूनिट से बढ़कर 2014-15 के दौरान 1010 यूनिट हो गई जो अब तक की सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति खपत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : आईईए की वेबसाइट www.iea.org ऊर्जा सूचकों (चयनित सूचक 2012) पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भारत तथा अन्य देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के तुलनात्मक आंकड़े **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 897 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2015-16 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुमानित वार्षिक विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष(+)/कमी(-)		मांग	उपलब्धता	अधिशेष(+)/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,689	1,601	-87	-5.2	360	304	-56	-15.6
दिल्ली	30,408	36,854	6,447	21.2	6,300	6,308	8	0.1
हरियाणा	48,870	52,571	3,701	7.6	9,300	9,980	680	7.3
हिमाचल प्रदेश	9,401	11,603	2,203	23.4	1,600	1,957	357	22.3
जम्मू व कश्मीर	16,922	13,130	-3,792	-22.4	2,700	2,297	-403	-14.9
पंजाब	51,268	53,864	2,597	5.1	11,900	10,344	-1,556	-13.1
राजस्थान	72,132	74,470	2,338	3.2	11,000	11,128	128	1.2
उत्तर प्रदेश	1,11,858	97,866	-13,992	-12.5	16,350	13,991	-2,359	-14.4
उत्तराखण्ड	13,247	12,580	-667	-5.0	1,980	1,923	-57	-2.9
उत्तरी क्षेत्र	3,55,794	3,54,540	-1,254	-0.4	54,329	54,137	-192	-0.4
छत्तीसगढ़	24,980	26,012	1,032	4.1	3,825	3,857	32	0.8
गुजरात	94,898	95,131	232	0.2	13,671	14,039	368	2.7
मध्य प्रदेश	65,675	70,890	5,215	7.9	10,489	11,672	1,183	11.3
महाराष्ट्र	1,49,773	1,55,004	5,230	3.5	21,250	22,411	1,161	5.5
दमन एवं दीव	2,221	2,251	30	1.4	315	315	0	-0.1
दादर नागर हवेली	5,806	5,841	35	0.6	800	801	1	0.2
गोवा	3,566	3,548	-18	-0.5	515	510	-5	-0.9
पश्चिमी क्षेत्र	3,53,068	3,64,826	11,758	3.3	48,479	50,254	1,775	3.7
आंध्र प्रदेश	54,864	48,216	-6,648	-12.1	7,622	6,720	-902	-11.8
कर्नाटक	70,294	59,065	-11,229	-16.0	10,911	8,119	-2,792	-25.6
केरल	23,703	20,349	-3,354	-14.2	4,032	3,229	-803	-19.9
तमिलनाडु	1,02,653	98,123	-4,530	-4.4	14,489	13,710	-779	-5.4
तेलंगाना	58,152	48,135	-10,017	-17.2	8,223	6,573	-1,650	-20.1
पुडुचेरी	2,554	3,062	508	19.9	395	367	-28	-7.1
दक्षिणी क्षेत्र	3,13,248	2,77,979	-35,269	-11.3	43,630	35,011	-8,619	-19.8
बिहार	19,215	18,318	-897	-4.7	3,250	2,543	-707	-21.8
झींसी	19,224	21,056	1,832	9.5	2,718	4,069	1,351	49.7
झारखण्ड	9,106	6,740	-2,366	-26.0	1,200	1,165	-35	-2.9
ओडिशा	26,985	28,652	1,667	6.2	4,050	4,526	476	11.8
पश्चिम बंगाल	49,654	51,367	1,713	3.5	7,988	7,927	-61	-0.8
सिक्किम	427	932	505	118.4	90	162	72	80.3
पूर्वी क्षेत्र	1,24,610	1,27,066	2,455	2.0	18,507	19,358	851	4.6
अरुणाचल प्रदेश	816	673	-143	-17.5	143	148	5	3.6
असम	9,115	6,937	-2,178	-23.9	1,500	1,197	-303	-20.2
मणिपुर	865	838	-27	-3.1	165	160	-5	-2.8
मेघालय	2,155	2,246	92	4.3	425	489	64	15.1
मिजोरम	502	549	47	9.4	95	116	21	22.4
नागालैंड	825	576	-249	-30.2	140	111	-29	-20.8
त्रिपुरा	1,425	2,115	690	48.4	315	406	91	28.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	15,703	13,934	-1,768	-11.3	2,650	2,544	-106	-4.0
बखिल भारत	11,62,423	11,38,346	-24,077	-2.1	1,56,862	1,52,754	-4,108	-2.6

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 897 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15*
चंडीगढ़	1052
दिल्ली	1561
हरियाणा	1909
हिमाचल प्रदेश	1336
जम्मू व कश्मीर	1169
पंजाब	1858
राजस्थान	1123
उत्तर प्रदेश	502
उत्तराखंड	1358
छत्तीसगढ़	1719
गुजरात	2105
मध्य प्रदेश	813
महाराष्ट्र	1257
दमन व दीव	6960
दादरा व नागर हवेली	13769
गोवा	1803
आंध्र प्रदेश	1040
तेलंगाना	1356
कर्नाटक	1211
केरल	672
तमिलनाडु	1616
पुडुचेरी	1655
लक्षद्वीप	657
बिहार	203
झारखंड	835
ओडिशा	1419
पश्चिम बंगाल	647
सिक्किम	685
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	361
अरुणाचल प्रदेश	525
असम	314
मणिपुर	295
मेघालय	704
मिजोरम	449
नागालैंड	311
त्रिपुरा	303
कुल अखिल भारत	1010

टिप्पणी: प्रति व्यक्ति खपत=(सकल ऊर्जा उत्पादन + निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या

* अनंतिम

राज्य सभा में दिनांक 07.12.2015 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 897 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2012 के लिए विकसित/विकासशील देशों और विश्व की विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)

क्रम सं.	देश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)	क्रम सं.	देश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)
1	अलबानिया	1943	71	कोसोवो	2860
2	अल्जीरिया	1203	72	कुवैत	16542
3	अंगोला	239	73	किरगिस्तान	1809
4	अर्जेंटीना	3027	74	लातविया	3589
5	अर्मेनिया	1838	75	लेबनान	3113
6	ऑस्ट्रेलिया	10218	76	लीबिया	4805
7	ऑस्ट्रिया	8511	77	लिथुआनिया	3607
8	अजर्बैजान	2053	78	लक्समबर्ग	14667
9	बहरीन	17601	79	मलेशिया	4313
10	बांग्लादेश	280	80	माल्टा	4766
11	बेलारूस	3698	81	मैक्सिको	2098
12	बेल्जियम	8040	82	मंगोलिया	1604
13	बेनिन	92	83	मोटेनोग्रो	5412
14	बोलिविया	646	84	मोरक्को	888
15	बोसनिया एंड हर्जगोवीना	3271	85	मोजंबिक	454
16	बोत्सवाना	1611	86	म्यांमार	152
17	ब्राजील	2509	87	नामीबिया	1614
18	ब्रूनी द्रससलम	8949	88	नीदरलैंड	6872
19	बुल्गारिया	4762	89	नीदरलैंड एंटील्स	4891
20	कैमरून	262	90	नेपाल	119
21	कनाडा	15558	91	न्यूजीलैंड	9298
22	चिली	3807	92	निकारागुआ	568
23	चाइनीज ताइपे	उपलब्ध नहीं	93	नाइजीरिया	155
24	कोलंबिया	1130	94	नॉर्वे	23656
25	कम्बोडिया	206	95	ओमान	6520
26	कॉंगो	180	96	पाकिस्तान	447
27	कोस्टा रीका	1896	97	पनामा	1943
28	कोट डिलवोरे	255	98	पारागुए	1305
29	क्रोएशिया	3819	99	चीन गणराज्य	3475
30	क्यूबा	1376	100	पेरू	1218
31	साइप्रस	5313	101	फिलिपींस	668
32	क्रेच रिपब्लिक	6306	102	पोलैंड	3851
33	कॉंगो डेम. रिपब्लिक	112	103	पुर्तगाल	4708
34	डेनमार्क	6040	104	कतर	15904
35	डोमिनिशियन रिपब्लिक	1455	105	मलदोवा गणराज्य	1514
36	कोरिया की डीपीआर	654	106	रोमानिया	2602
37	इक्वाडोर	1276	107	रसियन फेडरेशन	6602
38	इजिप्ट	1804	108	दक्षिण अफ्रीका	4410
39	ईएल. सलवादोर	850	109	सऊदी अरब	8763

40	एरिट्रिया	50	110	सेनेगल	210
41	एस्टोनिया	6603	111	सर्बिया	4371
42	इथोपिया	58	112	सिंगापुर	8690
43	फिनलैंड	15687	113	स्लोवेनिया	6778
44	फ्रांस	7367	114	सोलवक रिपब्लिक	5139
45	मैकडोनिया की एफवाईआर	3625	115	स्पेन	5647
46	गबोन	1081	116	श्रीलंका	527
47	जॉर्जिया	1935	117	सूडान	159
48	जर्मनी	7138	118	स्वीडन	14289
49	घाना	348	119	स्विट्जरलैंड	7953
50	जिब्राल्टर	5344	120	सीरिया अरब रिपब्लिक	1169
51	ग्रीस	5511	121	तजाकिस्तान	1732
52	ग्वाटेमाला	539	122	थाइलैंड	2479
53	हैती	50	123	टोगो	147
54	होंडुरस	680	124	त्रिनिदाद व टोबैगो	6651
55	हांगकांग (चीन)	6026	125	ट्यूनिशिया	1411
56	हंगरी	3919	126	तुर्की	2760
57	आइसलैंड	53156	127	तुर्कमेनिस्तान	2476
58	भारत	884	128	उक्रेन	3641
59	इंडोनेशिया	733	129	संयुक्त अरब अमीरात	10175
60	ईरान	2752	130	यूनाइटेड किंगडम	5452
61	इराक	1483	131	तंजानिया संयुक्त गणराज्य	101
62	आयरलैंड	5661	132	संयुक्त राज्य	12947
63	इजराइल	7193	133	उरूग्वे	2933
64	इटली	5277	134	उजबेकिस्तान	1605
65	जमैका	1198	135	वेनेजुएला	3401
66	जापान	7753	136	वियतनाम	1273
67	जॉर्डन	2357	137	विश्व	2972
68	कजाकिस्तान	5085	138	येमेन	177
69	केन्या	157	139	जंबिया	600
70	कोरिया	10346	140	जिम्बावे	596

टिप्पणी:- उक्त सूचना आईईए की वेबसाइट ऊर्जा सूचकों (चयनित सूचक, 2012) से डाउनलोड की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-898

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है।

बांग्लादेश द्वारा खरीदी गई बिजली

898. श्री अनिल माधव दवे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बांग्लादेश ने बिजली की अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत से अधिक विद्युत आपूर्ति की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो बांग्लादेश कितनी बिजली खरीदना चाहता है और कब तक;
- (ग) वर्तमान में बांग्लादेश भारत से कितनी बिजली खरीद रहा है; और
- (घ) बांग्लादेश द्वारा खरीदी जाने वाली बिजली का वर्तमान भारत औसत प्रशुल्क क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : बांग्लादेश दिसंबर, 2015 से जनवरी, 2018 तक और उसके आगे उत्तरोत्तर रूप से 630 से 650 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्रय करना चाहता है।

(ग) : वर्तमान में बांग्लादेश भारत से 500 मेगावाट विद्युत का आयात कर रहा है।

(घ) : चालू वर्ष (अप्रैल से सितंबर, 2015) में बांग्लादेश को आपूर्ति की जा रही विद्युत का भारत औसत प्रशुल्क लगभग 3.69 रुपये प्रति यूनिट है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश पारेषण और ग्रिड प्रचालन संबंधी प्रभारों का भी भुगतान करता है।
